



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन, 1943 (श०)

संख्या-509 राँची, गुरुवार,

30 सितम्बर, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

30 सितम्बर, 2021

विषय:- देवघर जिलान्तर्गत अंचल-मोहनपुर के मौजा-दुम्मा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरित 58.00 एकड़ परती कदीम भूमि को झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची को निःशुल्क हस्तांतरण किये जाने के संबंध में ।

संख्या-07/आ०कॉ०-03/2020/न०वि०आ०--आर्थिक विकास के मद्देनजर लोगों का प्रवासन ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रायः देखा जाता है । इस कारण से शहर में विभिन्न आवश्यकताओं के अतिरिक्त आवास की आवश्यकता भी लोगों के द्वारा महसूस की जाती है, विशेषकर मध्यम एवं कमजोर वर्गों के लोगों के द्वारा ऐसे वर्ग हेतु ही बेहतर परन्तु affordable price/ rent पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना आवास बोर्ड के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है ।

2. झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् राज्य के विकास की गति काफी तेज रही है, जिसके मद्देनजर इस राज्य में शहरी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि परिलक्षित हो रही है । झारखण्ड गठन के पश्चात् झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवासीय परिसरों के निर्माण में कोई नई वृहत योजना प्रारंभ नहीं की जा सकी है, जिसके कारण शहर एवं शहर के आस-पास के लोगों को आवास की कमी का सामना करना पड़ता है । झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा नई योजनाओं का प्रारंभ नहीं करने का मूल कारण उसके पास जमीन का अभाव रहा है ।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में विभाग के द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय अथवा इसके आस-पास सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टाउनशिप का निर्माण कराया जाना है । इस निमित्त प्रथम चरण में अधिकाधिक सरकारी भूमि

का उपयोग कर, विभिन्न जिलों में आवास बोर्ड के द्वारा Affordable Housing सुनिश्चित किया जा सकेगा | यदि भू-खण्डों में कुछ भाग निजी भू-स्वामियों का होता है, तो वैसी परिस्थिति में आवास बोर्ड के द्वारा उस भूमि को क्रय/ भू-अर्जन किया जा सकता है |

4. इस निमित्त उपायुक्त, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, बोकारो एवं गुमला को विवाद रहित सरकारी भूमि चिन्हित करने का अनुरोध किया गया है |

5. इस क्रम में आवासीय कॉलोनी निर्माण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, देवघर के ज्ञापांक-1240/रा०, दिनांक-27.08.2020 के द्वारा देवघर जिलान्तर्गत अंचल-मोहनपुर के मौजा-दुम्मा, थाना सं०-427, खाता सं०-23, खेसर संख्या-01, रकवा-58.00 एकड़, किस्म-परती कदीम भूमि नगर विकास एवं आवास विभाग को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है |

6. इस निमित्त झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को प्रस्तावित भूमि निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र संख्या-3026/रा०, दिनांक-07.10.2010 की कंडिका-1 को शिथिल किया जाता है |

7. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को हस्तांतरित की गई भूमि का उपयोग बोर्ड द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित करने के प्रयोजन में किया जाएगा |

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-28.09.2021 की बैठक में मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है |

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (ले० एवं हक०) झारखण्ड, राँची/ सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाए |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव |
